सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 30 माघ, 1945 (श०) / 19 फरवरी, 2024 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 102

(1)	गृह विभाग	71
(2)	सामान्य प्रशासन विभाग	07
(3)	वित्त विभाग	07
(4)	उद्योग विभाग	04
(5)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	04
(6)	मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग	05
(7)	गन्ना उद्योग विभाग	04
	कुल योग --	102

लोक संवेदना अभियान पखवारा मनाना

*115. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने विभागीय पत्रांक 3530, दिनांक 8 मार्च, 2022 के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्व0 अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 'लोक संवेदना अभियान' पखवारा मनाने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से अनुरोध किया गया है, परन्तु कार्रवाई लम्बित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्व0 अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर लोक संवेदना अभियान पखवारा मनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*116. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के शंकरपुर प्रखंड अन्तर्गत थाना भवन शंकरपुर बाजार से दूर हट के देहात इलाका में बनाने का प्रस्ताव आया है, जिससे बाजार के भीड़-भाड़ इलाके को नियंत्रित करने तथा आमजनों की पहुँच थाना तक होने में परेशानी होगी, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस थाना भवन का निर्माण शंकरपुर बाजार में या बाजार के आस-पास कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*117. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा थाना क्षेत्र के विंधावाडी मौजा में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान में कब्रों को खोद दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त घटना के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कदवा थाना कांड संख्या 260/23, दिनांक 24 नवम्बर, 2023 दर्ज किया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान परिसर की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*118. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तुरकौलिया प्रखंड के माधोपुर मधुमालत पंचायत के वार्ड नम्बर 8 स्थित गोपाल चौक के निकट कब्रिस्तान 100 डिसमिल में अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण दो समुदायों के बीच सम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परिसदन/गेस्ट हाऊस का निर्माण

*119. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज अनुमंडल में कुल 8 प्रखंड एवं 2 नगर परिषद् तथा 3 नगर पंचायत आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिक्रमगंज एक व्यावसायिक स्थान है एवं अधिकारी का भी अनुमंडल कार्यालय/न्यायालय में अक्सर आना-जाना लगा रहता है, लेकिन सरकार के द्वारा उक्त अनुमंडल में परिसदन/गेस्ट हाऊस का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिक्रमगंज अनुमंडल में परिसदन/गेस्ट हाऊस का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुकम्पा का लाभ देना

*120. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गृह रक्षावाहिनी में कार्यरत BHG 10297 सोने लाल यादव की मृत्यु 18 अप्रील, 2009 को जमुई में लोकसभा चुनाव कराने के दौरान तबीयत बिगड़ने से हुई, परंतु उनके आश्रितों को आजतक अनुकम्पा का लाभ नहीं दिया गया है, जिसके कारण उनके आश्रित अत्यंत दयनीय स्थिति में जीवन-यापन कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक स्व0 सोने लाल यादव के आश्रितों को अनुकम्पा का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*121. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि छपरा जिलान्तर्गत एकमा थाना में अनुसूचित जाति/जन-जाति (अत्याचार निवारण), 1989 के तहत भरत यादव, लालबाबू यादव, धीरेंद्र कुमार सहित अन्य पर F.I.R. No. 468, दिनांक 21 नवम्बर, 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई है, परंतु अभीतक नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ऐक्ट के तहत अभियुक्तों की गिरफ्तारी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*122. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दियारा इलाका यथा बरियारचक, सिंघिनपुर तिवारी टोला, रमसापुर, छितरचक, अकिलपुर दूधिया एवं बतरौली आदि ग्राम चारों ओर से गंगा नदी से घिरा हुआ है एवं क्षेत्र की आबादी लगभग पच्चीस हजार है, परन्तु यहाँ किसी भी बैंक की शाखा नहीं रहने के कारण लोगों को बैंक संबंधी कार्यों के लिये नाव के सहारे गंगा नदी पार कर बाजार, प्रखंड एवं अनुमंडल मुख्यालय जाना पड़ता है, जिससे दियारावासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त इलाके के अकिलपुर में बैंक की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*123. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड के पंचायत चेव के नराईच एवं मदनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत, मदनपुर के दशवतखाप में कब्रिस्तान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु एक वर्ष पूर्व टेंडर हो चुका है एवं राशि भी उपलब्ध है, परन्तु कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य एक साल से लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार घेराबंदी नहीं कराने वाले चयनित संवेदक पर कार्वाई करते हुये चयनित कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*124. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तुरकौलिया प्रखंड के मथुरापुर पंचायत के वार्ड नं0-11 स्थित ईदगाह के निकट कब्रिस्तान 115 डिसमील में अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बंगाली शरणार्थियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करना

*125. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बैरिया प्रखंड के बंगाली कॉलोनी-बैरिया, सिरिसिया बंगाली कॉलोनी, योगापट्टी प्रखंड के बंगाली कॉलोनी समेत प्रदेश के सभी बंगाली शरणार्थी को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निदेश कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग), पटना ने संचिका सं0-11/वि0-5/न्याय-42/2004 का 0 2880, दिनांक 16 जून 2009 तथा जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया ने पत्रांक-74, दिनांक 24 जनवरी, 2010 एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया ने अपने पत्रांक-368, दिनांक 17 जून, 2010 से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, नौतन/योगापट्टी को दिया है, लेकिन आदेश के बावजूद भी वर्ष 2013 से नौतन, बैरिया एवं योगापट्टी प्रखंडों में बंगाली शरणार्थियों का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार बंगाली शरणार्थियों को कबतक जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ईदगाह की घेराबंदी

*126. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत प्रखंड अतरी के ग्राम सहोड़ा में मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान के बगल में ईदगाह है एवं ईदगाह की घेराबंदी नहीं रहने के कारण दो समुदायों में भूमि विवाद होता रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ईदगाह की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*127. श्री मोहम्मद कामरान (क्षेत्र संख्या-238 गोविन्दपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के रोह प्रखंड का अनुमंडल कार्यालय रजौली है और रोह प्रखंड के 14 पंचायत के लोगों को अनुमंडलस्तरीय एवं जमीन की रजिस्ट्री इत्यादि काम के लिए जिला मुख्यालय एवं तीन प्रखंड होकर रजौली जाना पड़ता है, जिसके कारण आम जनता को आने-जाने में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कि रोह प्रखंड से रजौली अनुमंडल की दूरी लगभग 65 कि0मी0 है जबकि नवादा अनुमंडल की दूरी मात्र 15 कि0मी0 है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड को नवादा अनुमंडल से संबद्ध करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम से निजात दिलाना

*128. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर नगर पंचायतान्तर्गत पुरानी गंडक पुल के पश्चिमी छोर से गजग्राह चौक के बीच एप्रोच सड़क में प्रतिदिन जाम लगा रहता है, जिससे आम लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित स्थान से जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

CCTV कैमरा लगाना

*129. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत के शेरघाटी प्रखण्ड के प्रमुख चौक-चौराहों एवं सभी वार्डों के मुख्य मार्ग पर CCTV कैमरा नहीं लगे रहने से व्यापारियों एवं आमजनों के साथ होने वाली छिनतई की घटना का रिकॉर्डिंग नहीं होने से अपराधियों को पकड़ने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शहर के चौक-चौराहों एवं सभी वार्डों के मुख्य मार्गों पर CCTV कैमरा लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*130. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के कुर्था प्रखंड के नगर पंचायत अन्तर्गत कुर्था डीह स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं है, जिसके कारण कब्रिस्तान में गंदगी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*131. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जोगबनी नगर परिषद् के क्षेत्र में नो मेंस लैंड पर अतिक्रमण कर अवैध बसावट एवं दुकान बनाया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नो मेंस लैंड को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राष्ट्रीय बैंक खोलना

*132. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड मदनपुर के पंचायत पिरवां के ग्राम परसडीह एवं ग्राम पंचायत पिपरौरा में एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं है, पंचायत पिरवां से कासमा एवं नोनीया डीह में अवस्थित दूसरे बैंक की दूरी क्रमश: 6 किलो मीटर एवं 7 किलो मीटर है एवं ग्राम पंचायत पिपरौरा से दूसरे बैंक की दूरी लगभग 5-10 किलो मीटर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि महिलाओं एवं वृद्धजनों को बैंक की दूरी तय करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है,

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*133. श्री संतोष कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि करगहर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखंड करगहर के ग्राम-रुपैठा, पंचायत रूपैठा एवं ग्राम-बड़हरी, पंचायत-बड़हरी में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया गया है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक वाहन की व्यवस्था

*134. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर एवं एकंगरसराय प्रखंड अन्तर्गत इस्लामपुर एवं एकंगरसराय थाना में अग्निशमन हेतु बड़ी गाड़ी नहीं रहने के कारण अगलगी में आग बुझाने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त थाना क्षेत्रों के लिये अग्निशमन हेतु बड़ी गाड़ी सहित अग्निशामक दल स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*135. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत हसपुरा प्रखंड के ग्राम-रघुनाथपुर तथा ग्राम-गहना के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा जानवर कब्रों पर घूमते रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी प्राथमिकता के आधार पर कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क के निर्माण हेतु दिशा-निर्देश देना

*136. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मटिहानी विधान सभा अन्तर्गत बेगूसराय नगर निगम के वार्ड नंबर 8 राजापुर एवं बी०एम०पी० 8 के बीच बी०एम०पी० के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाली लगभग 200 फीट सड़क काफी जर्जर हालत में है, जिसके कारण गाँव के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क को न तो बी०एम०पी० द्वारा निर्माण कराया जाता है और न ही किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि को निर्माण की स्वीकृति दी जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क के निर्माण में आवश्यक दिशा-निर्देश देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राज्य में बढ़ रही हत्या का कारण बताना

*137. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि दिसम्बर, 2023 में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 2021 के अनुपात में 2022 में कुल दर्ज हत्या के अपराध घटे हैं, जबकि बिहार में दर्ज हत्या के अपराध बढ़ें है, जो कि देश में दूसरे नम्बर पर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि देश में 2021 में हत्या के अपराध 29272 दर्ज हुये एवं 2022 में 28522 दर्ज हुये जबकि बिहार में 2021 में हत्या के अपराध 2799 एवं 2022 में 2930 दर्ज हुये ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में बढ़ रही हत्या के कारण तथा इसको कम करने का उपाय बताना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*138. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के कुर्था प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-सचई में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण परिसर में कूड़ा-कचरा भरा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*139. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखंड के खजुरी पंचायत में साढ़े चार एकड़ का कब्रिस्तान की घेरांबदी नहीं होने के कारण अतिक्रमण हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त कब्रिस्तान को सरकारी अभिलेख में घेराबंदी किया गया दर्शाया गया है, जबकि घेराबंदी नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खजुरी पंचायत में अवस्थित कब्रिस्तान की जाँच कराकर घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पंचायत को सम्बद्ध करना

*140. श्री राजीव कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत कटियारी पंचायत तारापुर अनुमंडल के संग्रामपुर प्रखंड में पड़ता है, किन्तु इसका ओ०पी० थाना टेरिया बंबर है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हवेली खड़गपुर में पड़ता है, जिससे कटियारी पंचायत के लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु 15 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ती है जबकि कटियारी पंचायत, संग्रामपुर प्रखंड में पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कटियारी पंचायत को तारापुर अनुमंडल पुलिस कार्यालय से संबद्ध करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डायिंग मिल लगवाना

*141. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत चनपटिया प्रखंड के स्टार्ट अप जोन चनपटिया में कपड़ों की रंगाई हेतु डायिंग मिल नहीं होने के कारण उद्यमियों को परेशानी हो रही है, एवं दूसरे प्रदेश से कपड़ों की रंगाई कराने में ज्यादा खर्च वहन करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक स्टार्ट अप जोन चनपटिया में डायिंग मिल लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस शिविर की स्थापना करना

*142. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत चौकिया पहाड़पुर पंचायत अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है, जिस कारण अमदाबाद थाने की पुलिस को अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु वहां शीघ्रता से पहुँचने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार चौकिया पहाड़पुर चौक पर पुलिस शिविर स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति करना

*143. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक का पद सृजित है, परन्तु प्रतिनियुक्ति नहीं होने से कार्य का निष्पादन समय पर नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक भागलपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन विसंगति को दूर करना

*144. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में पुलिस अवर निरीक्षक (एस०आई०)/सार्जेंट का वेतन 7वें वेतन आयोग के बाद लेवल-6 में किया गया जबकि अन्य पूर्व के समकक्ष वेतनमान वाले पदों यथा एग्रिकल्चर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेविंग ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर सहित अन्य का वेतन स्तर लेवल-7 में किया गया, जबकि इन सभी पदों का वेतनमान पूर्व में 9300-34800 (ग्रेड पे-4200) एक समान था, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वेतन विसंगति को दूर करते हुये अवर निरीक्षक/सार्जेंट का वेतन लेवल-7 में करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रोस्टर क्लीयरेन्स संबंधी पत्र में संशोधन

*145. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार अधिनियम-19/2023 को तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त करते हुये 35% खुली गुणागुण कोटि का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 21485, दिनांक 22 नवम्बर, 2023 द्वारा रोस्टर क्लीयरेंस संबंधी पत्र में चालू रिक्ति के बदले स्वीकृत बल के आधार पर गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस का निर्देश दिये जाने के कारण उपर्युक्त अधिनियम 19/2023 में खुली गुणागुण कोटि के लिये किये गये प्रावधान का अनुपालन नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रोस्टर क्लीयरेंस संबंधी उपर्युक्त पत्र को अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप संशोधित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डोमेस्टिक एयरपोर्ट चालू कराना

*146. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, नागरिक विमानन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट चालू नहीं होने से उक्त क्षेत्र के लोगों को पटना और दरभंगा आकर विमान पकड़ना होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मोतीहारी एवं मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट चालू होने से हवाई यात्रा करने वाले लोगों को सहुलियत के साथ ही उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास को चालू करवाना

*147. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला में MSDP योजना से लगभग एक दर्जन छात्रावासों का निर्माण आठ वर्ष पूर्व कराया गया था, परन्तु उपस्करों के अभाव में छात्रावास आजतक चालू नहीं किया जा सका है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त छात्रावासों कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खोलना

*148. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड के पौथू बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई शाखा नहीं है, जिससे यहां के आस-पास के व्यापारियों एवं आमजनता को 15 से 20 किलो मीटर की दूरी पर बैंक के कार्य करने हेतु जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पौथू बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*149. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड विधान सभा क्षेत्र के सुरसंड प्रखंड के दिवारी मतौना पंचायत के सिमियाही गांव का कब्रिस्तान एवं पुपरी प्रखंड के बौरा बाजितपुर पंचायत के गंगवारा कब्रिस्तान की घेराबंदी अबतक नहीं हो पाई है, जिस कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*150. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अंचल अधिकारी, बैसा को मैंने अपने पत्र के पत्रांक AI 469/23, दिनांक 18 अक्टूबर, 2023, पत्रांक AI 353/23, दिनांक 20 सितम्बर, 2023, पत्रांक AI 135/22, दिनांक 23 अप्रील, 2022, पत्रांक AI 130/22, दिनांक 30 अप्रील, 2022, पत्रांक AI 210/22, दिनांक 25 अगस्त, 2022 द्वारा पत्र लिखा है, परन्तु आजतक मुझे अंचलाधिकारी, बैसा द्वारा उत्तर नहीं दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के नियमावली के अनुसार सांसदों, विधायकों एवं विधान पार्षदों के पत्र का उत्तर पदाधिकारी को 15 दिनों के अंदर देना अनिवार्य है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियम का अनुपालन नहीं करने वाले अंचल अधिकारी बैसा पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

टै्फिक पुलिस भवन का निर्माण

*151. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद में ट्रैफिक पुलिस का अपना भवन नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार औरंगाबाद में ट्रैफिक पुलिस भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अत्यन्त पिछड़ी जाति प्रमाण-पत्र देना

*152. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत दक्षिणी कांटाकोश पंचायत वार्ड संख्या 8, किनारा टोला में जाट जाति के 15 घर, जिनकी जनसंख्या 100 से अधिक है, वर्षों से बसे हुये हैं, पर इन्हें अत्यन्त पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है, जबकि बिहार के अररिया, सुपौल, मधुपेरा, सहरसा में इस जाति के लोगों को अत्यन्त पिछड़ी जाती का प्रमाण-पत्र दिया जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड में बसे जाट जाति के लोगों को अत्यन्त पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वरीयता निर्धारित करना

*153. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 बिहारीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 1991 बैच की सीधी नियुक्ति से नियुक्त आशु: पुलिस अवर निरीक्षकों की वरीयता पाँच वर्ष काट कर पुलिस निरीक्षक में प्रोन्नति दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रोन्नति के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अरूण कुमार बनाम बिहार सरकार के सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर 1667/20-15 में दायर की गई रिट याचिका के न्याय निर्णय में वरीयता में काटे गये पाँच वर्ष को शामिल कर वरीयता निर्धारित करने का निर्णय सरकार को दिया गया था, जिसका अनुपालन अभीतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उक्त बैच के सीधी नियुक्ति से आशु: पुलिस अवर निरीक्षकों के काटे गये पाँच वर्ष की वरीयता को शामिल कर वरीयता निर्धारित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*154. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के नगर परिषद्, शेखपुरा के वार्ड संख्या 8, नूरी मस्जिद कब्रिस्तान की घेराबंदी की स्थिति जर्जर है; यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान के जर्जर घेराबंदी का पुनर्निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*155. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के अकबरपुर अंचल अन्तर्गत ग्राम-मानपुर के खाता नम्बर 82 और प्लॉट नम्बर 624 में स्थित कब्रिस्तान में सैंकड़ों कच्ची कब्र और अनेक पक्का मजार के साथ ही कर्बला भी बना हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई करना

*156. श्री मोहम्मद कामरान (क्षेत्र संख्या-238 गोविन्दपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के गोविंदपुर विधान सभा के रोह प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-डुमरी स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 12 जनवरी, 2024 को संध्या लगभग 6:30 बजे अनुमंडल, पुलिस पदाधिकारी, रजोली के नेतृत्व में ग्रामीणों का विद्युत् आपूर्ति बंद कर बर्बतापूर्ण पिटाई की गई, जिसमें वृद्ध, बच्चे एवं महिलाओं के साथ भी बर्बरतापूर्ण तरीके से मार-पीट किया गया, साथ-ही-साथ उनके घरों में व्यापक पैमाने पर तोड़-फोड़ किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि ग्रामीणों के द्वारा अवैध बालू खनन के संबंध में जिला प्रशासन नवादा को पूर्व में सूचित किया गया था ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी का पुनर्निर्माण

*157. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के नगर परिषद्, शेखपुरा के वार्ड संख्या 9, लाल बाग शेखपुरा कब्रिस्तान की घेराबंदी की स्थिति जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान के जर्जर घेराबंदी का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलना

*158. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अन्तर्गत लकड़ी नवीगंज प्रखंड के नवीगंज बाजार में भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं है, जिसके कारण स्थानीय व्यावसायियों के साथ-साथ आमजनों को लेन-देन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला का सबसे पूर्वी व अंतिम प्रखंड लकड़ी नवीगंज है जो व्यवसायी क्षेत्र होने के कारण बैंक से लेन-देन करने के लिये व्यवसायियों को 20 किलो मीटर दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे आये दिन उनसे पैसे की लूट की भी घटनाएं होती रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित स्थान पर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हेमचन्द्र विक्रमादित्य की मूर्ति स्थापित करना

'क'-*159. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सासाराम जिला के हेमचन्द्र विक्रमादित्य देश के अंतिम हिन्दू शासक एवं पानीपत की लड़ाई के वीर योद्धा थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि इनका गृह जिला रोहतास सासाराम है तथा इनके नाम की मूर्ति स्थापित की जाने की माँग आमजनता द्वारा की जाती रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना एवं सासाराम में हेमचन्द्र विक्रमादित्य के नाम पर मूर्ति स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-गृह विभाग के पत्रांक 1233, दिनांक 7 फरवरी, 2024 द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में स्थानान्तरित ।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*160. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिला अंतर्गत बैसा प्रखंड के पंचायत कौंजिया कनहोर कब्रिस्तान की घेराबंदी आजतक नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान के चारों ओर दूसरे समुदाय के लोगों की बसावटें हैं, जिस कारण ये बहुत ही संवेदनशील है एवं कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से अवारा एवं आपत्तिजनक पशुओं का प्रवेश कब्रिस्तान में निरंतर होता रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारातमक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारी एवं कर्मी आवास निर्माण कराना

*161. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत जाले थाना, कमतौल थाना एवं सिंहवाड़ा थाना में पुराने आवासीय भवन पूरी तरह से जर्जर एवं ध्वस्त हो चुका है जिसके कारण पदाधिकारी एवं कर्मी को रहने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सभी थानों में फर्नीचर एवं विद्युतीकरण सहित आगंतुक कक्ष का निर्माण होना था, जिसकी निविदा वर्ष 2019 में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम ने निकाला था, परन्तु अभी तक कार्य शुरू नहीं हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उकत थानों में पदाधिकारी एवं कर्मी के आवास निर्माण के साथ-साथ आगंतुक कक्ष का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ कराना

*162. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन विधान सभा अंतर्गत डेरामारी में वर्ष 2022 से 560 बेड का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का भवन बन कर तैयार है, परंतु उक्त विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य अभी तक संचालित नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन का कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि उक्त विद्यालय का निर्माण कार्य वर्ष 2023 में सम्पन्न हुआ है।

विद्यालय संचालन हेतु विभिन्न कोटि के पदों की स्वीकृत प्राप्त कर ली गई है। उक्त स्वीकृत पदों पर आवश्यकतानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति द्वारा संचालन कर पठन-पाठन का कार्य शीघ्र यथाशीघ्र प्रारम्भ करने की कार्रवाई की जा रही है।

अपराध कम करने के उपाय बताना

*163. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दिसम्बर, 2023 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार देश में 2021 के अनुपात में 2022 में कुल दर्ज अपराध घटे हैं, जबकि बिहार में कुल दर्ज अपराध बढ़ें हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि देश में 2021 में कुल अपराध 60.9 लाख दर्ज हुए एवं 2022 में 58.2 लाख दर्ज हुए जबकि बिहार में 2021 में कुल दर्ज अपराध 2.82 लाख एवं 2022 में कुल दर्ज अपराध 3.47 लाख दर्ज हुए ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में अपराध बढ़ने के कारण एवं इसको कम करने के उपाय बताना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण

*164. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत सिकटा प्रखंड के लाल परसा एवं मैनाटाड़ प्रखण्ड के बरवा परसौनी (बढ़ईया टोला) में अवस्थित कब्रिस्तान चहारदीवारी के अभाव में असुरक्षित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी गन्ना क्रय केंद्र खोलना

*165. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में व्यापक मात्रा में किसान गन्ना की खेती करते हैं, परन्तु इस प्रखंड में सरकारी गन्ना क्रय केन्द्र नहीं रहने के कारण किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक फारबिसगंज प्रखंड में सरकारी गन्ना क्रय केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पेराई सत्र 2022-23 में अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखण्ड में गन्ना का आच्छादित कुल रकवा 23.50 हेक्टेयर मात्र है। अररिया जिलान्तर्गत पेराई योग्य गन्ने का निष्पादन स्थानीय गुड़ एवं खाण्डसारी इकाइयों द्वारा किया जाता है।

अररिया एवं उनसे सटे अन्य जिलों में कोई चीनी मिल स्थापित नहीं होने के कारण क्रय केन्द्र खोलना सम्भव नहीं है।

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*166. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड अन्तर्गत रघुनाथ खाप पंचायत के ग्राम-सलेपुरा में 20 वर्ष पूर्व कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया गया था, जो 5 वर्ष पूर्व क्षतिग्रस्त हो गया है, साथ ही उक्त पंचायत के ग्राम-ऐरूर उलटेन में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों कब्रिस्तान के खुला रहने के कारण वहां असामाजिक तत्वों एवं अवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार क्षतिग्रस्त हो चुके कब्रिस्तान की चहारदीवारी का नये सिरे से निर्माण एवं ऐरूर उलटेन कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की क्षतिग्रस्त चहारदीवारी का जीर्णोद्धार

*167. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरारू प्रखंड के तिलोरी पंचायत के ग्राम-महुली में 15 वर्ष पूर्व कब्रिस्तान की चहादीवारी का निर्माण कार्य कराया गया था, जो विगत 3 वर्षों से पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण वहां असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की क्षतिग्रस्त चहारदीवारी का जीर्णोद्धार कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान हेतु जमीन उपलब्ध कराना

*168. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के शंकरपुर प्रखंड अन्तर्गत जिरखा मधैली पंचायत के वार्ड नं०12 में तथा वैशाढ़ पंचायत के वार्ड नं० 5 एवं वार्ड नं० 12 में कब्रिस्तान नहीं होने से शव दफनाने में परेशानी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों पंचायतों में कब्रिस्तान हेतु जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाया भुगतान करना

*169. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 663 ई०, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 एवं विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के परामर्श के आलोक में पेराई सत्र 2020–23 में गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु परामर्शित मूल्य निर्धारित नहीं हो सका था, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्तमान पेराई सत्र में 2020–23 के परामर्शित मूल्य का बकाया गन्ना किसानों को डीफर (बोनस) के रूप में देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित आदेश के आलोक में पेराई सत्र 1996-97 से 2021-22 तक राज्य परामर्शित ईख मूल्य

का निर्धारण बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन द्वारा किया जाता रहा है। विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 467, दिनांक 5 मार्च, 2022 द्वारा पेराई सत्र 2022-23 से गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित करने का निर्णय लिया गया था । जिसके विरुद्ध बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद (C.W.J.C. No. 11099/2022, Bihar Sugar Mills Association V/s The State of Bihar & Ors.) दायर किया गया । उक्त वाद में विभाग द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया है। पेराई सत्र 2022-23 में गन्ना मूल्य के निर्धारण हेतु बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन, बिहार, पटना के सदस्यों एवं चीनी मिल मालिकों के साथ कई बैठकें भी की गयी, परन्तु ईख मूल्य के दर निर्धारण पर सहमति नहीं बन पायी। वर्तमान में यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रक्रियाधीन है।

गन्ना कृषकों एवं चीनी मिलों के हितों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा चालू पेराई सत्र 2023-24 अन्तर्गत उत्तम प्रभेद के गन्ना पर 20 रु०/क्विंटल, सामान्य प्रभेद के गन्ना पर 20 रु०/क्विंटल एवं निम्न प्रभेद के गन्ना पर 15 रु०/क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की गयी है। राज्य की चीनी मिलों की एसोसियेशन, बिहार सुगर मिल एसोसियेशन (BSMA) द्वारा भी प्रेस विज्ञप्ति निर्गत कर गन्ना मूल्य की घोषणा कर दी गयी है। चालू पेराई सत्र अन्तर्गत राज्य में गन्ना मूल्य का दर निम्नवत् है :--

क्र०	प्रभेद का नाम	गत पेराई सत्र 2022-23 का दर	चालू पेराई सत्र 2023-24 का दर
1	उत्तम प्रभेद	335 रु०/क्विंटल	355 रु०/क्विंटल
2	सामान्य प्रभेद	315 रु०/क्विंटल	335 रु०/क्विंटल
3	निम्न प्रभेद	285 रु०/क्विंटल	300 रु०/क्विंटल

राज्य एवं राज्य से गन्ना क्रय करनेवाली उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा उपर्युक्त निर्धारित दर पर गन्ना कृषकों का ईख मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी चीनी मिलों को ससमय ईख मूल्य भुगतान करने हेतु निदेशित किया गया है।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*170. श्री अख्तारूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत समस्तीपुर प्रखंड के पंचायत बिशनपुर के दुधपुरा (तालदशहारा) बेझाडीह अतिसंवेदनशील कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबंदी का कार्य अभीतक नहीं किया जा सका है, जिसके कारण दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाना

*171. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ प्रमण्डल के किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर मक्का एवं धान की खेती की जाती है, परन्तु कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग नहीं होने के कारण किसान अपनी फसल का न तो उचित मूल्य पाते हैं और न ही बेरोजगारों को रोजगार मिल पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्णियाँ प्रमण्डल में मक्का एवं धान आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गंदे पानी को प्रदूषण मुक्त कर नदी में छोड़ना

*172. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लौरिया, बगहा और नरकटियागंज अवस्थित चीनी मिल का गंदा पानी किसानों के खेत में बह रहे हैं, जिससे किसानों के खेत बंजर हो रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चीनी मिलों का गंदा पानी गंडक, किरहना, बुढ़ी गंडक नदी में बिना प्रदूषण साफ किये हुये आता है, जिससे जल प्रदूषण जनित बिमारियाँ फैल रही हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तीनों चीनी मिलों के गंदे पानी को किसानों के खेत में नहीं छोड़कर प्रदूषण नियमावली के आलोक में इसे साफ कर नदी में छोड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*173. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड अन्तर्गत मरिचा ग्राम (पंचायत मरिचा) स्थित कब्रिस्तान जिसका खेसरा नं० 2947 है, की घेराबंदी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों का वहां जमावड़ा लगा रहता है, जिसके कारण आम नागरिकों में काफी असंतोष है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तन की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चौक का नामकरण करना

*174. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुढ़नी)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के बैरगिनिया नगर परिषद् में हॉस्पीटल चौक पर अमर शहीद वंशी चाचा की मूर्ति नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त चौक का नाम अमर शहीद वंशी चाचा रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*175. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड के प्रसबन्ना पंचायत अंतर्गत मिरधावासा ग्राम के थाना नं० 111, खाता-398, खेसरा-1225 में अवस्थित मिरधावासा कब्रिस्तान काफी संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी में है, जिसकी घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण होने की संभावना तथा विवाद एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कबिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संविदा पर नियुक्त कार्यपालक सहायकों को नियमित करना

*176. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के पत्रांक

12534/17-9-2018 के आलोक में कृषि समन्वयक एवं चिकित्सक की बहाली नियमित की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सामान्य प्रशासन विभाग अन्तर्गत ''बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी'' द्वारा संविदा पर नियुक्त किये गये कार्यपालक सहायकों एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति बिहार सरकार के पत्रांक 1003/22 01-2021 के आलोक में नियमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*177. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड नानपुर के ग्राम+पंचायत ददरी के ग्राम-बहुरार टोला मोहनपुर वार्ड सं० 7 एवं प्रखंड नानपुर के ग्राम-वासोपट्टी कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण

*178. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड में एक भी अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार विभूतिपुर में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रत्येक जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का निर्माण कराया जाता है । वर्तमान नीति के अनुसार राज्य योजनान्तर्गत प्रखंड स्तर पर छात्रावास निर्माण का प्रावधान नहीं है ।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*179. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिक्रम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नौबतपुर प्रखंड स्थित ग्राम-कोरावाँ एवं जमलपुरा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के स्थानीय लोगों द्वारा कब्रिस्तान की भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ऊपर वर्णित दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मॉडल थाना भवन का निर्माण करना

*180. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला थाना वृहत आबादी वाला बड़ा क्षेत्र है, परंतु उक्त थाना का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त थाना भवन को मॉडल थाना भवन के रूप में निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाना

*181. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''अपराधी बेखौफ पटना जिले में 11 माह में 267 लोगों की हत्या, 202 से लूट, 363 घरों से चोरी'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिले में जनवरी से नवम्बर, 2023 तक ग्यारह महीने में अपराधियों ने 267 लोगों की हत्या, डकैती की 18, लूट की 202, बंद घरों में चोरी 636 तथा बलात्कार की 91 घटनायें घटित हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अपराधी बेखौफ एवं मस्त हैं तथा पुलिस निष्क्रिय है, जिस कारण आम लोग दहशत में है ;

(3) यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त घटनाओं पर रोक लगाने तथा पुलिस की लापरवाही पर कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*182. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के कोतवाली थाना में कांड संख्या 590/23, दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 एवं रामनगर थाना के थाना कांड संख्या-10/24, दिनांक 11 जनवरी, 2024 में दर्ज अभियुक्तों की अभीतक गिरफ्तारी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार अनुसंधान में तेजी लाकर उक्त थाना कांड में दर्ज अभियुक्तों की गिरफ्तारी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों नहीं ?

पुलिस चौकी की स्थापना

*183. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के मांझा प्रखंड अंतर्गत दानेश्वरनाथ महादेव मंदिर के पुजारी की विगत दिसंबर माह में अपहरण कर हत्या कर दी गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि दानेश्वरनाथ महादेव मंदिर, दानापुर मांझा पर असामाजिक तत्वों के डर से श्रद्धालुओं के आवागमन में भारी गिरावट आई है और स्थानीय लोगों की मांग भी है कि मंदिर परिसर में पुलिस चौकी की स्थापना हो ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोपालगंज जिला अंतर्गत मांझा प्रखंड के दानापुर शिवमंदिर परिसर में पुलिस चौकी की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*184. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--हिंदी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 4 जनवरी, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''राज्य की आधी पंचायतों में भी नहीं खुल पायी बैंकों की शाखाएं'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार और रिजर्व बैंक के सख्त निर्देश के बावजूद राज्य में बैंक शाखा खोलने की गति काफी धीमी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में 8059 पंचायतों की संख्या है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 3782 बैंकों की शाखाएं खुली हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत में बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम से मुक्ति दिलाना

*185. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के बिक्रमगंज अनुमंडल अंतर्गत बड़ा बाजार बिक्रमगंज, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, नगर परिषद्, रजिस्ट्रर कार्यालय, व्यवहार न्यायालय एवं उपकारा इत्यादि अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अनुमंडल अंतर्गत तेन्दूनी चौक एवं थाना चौक पर हमेशा महाजाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण कार्यालय के पदाधिकारियों एवं आमजनों को आवागमन में आए दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार तेन्दूनी चौक एवं थाना चौक पर होने वाले महाजाम से मुक्ति दिलाने हेतु उक्त स्थल पर स्वचालित यातायात संकेतक कबतक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*186. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत प्रखंड बाजपट्टी के ग्राम बर्रीफुलवरिया एवं ग्राम-बन्तारा में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दरगाह शरीफ का जीर्णोद्धार तथा घेराबंदी

*187. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के अस्थावां अंचल अन्तर्गत ग्राम-डुमरावाँ के खाता नं0-943, प्लॉट नं0-2863, रकबा-10 डी0 में हजरत गाजी शहीद की दरगाह शरीफ अवस्थित है, जिसके जीर्णोद्धार एवं घेराबंदी कराने की आवश्यकता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दरगाह शरीफ का जीर्णोद्धार एवं घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री- आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिला के अस्थावां प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम-डुमरावाँ में हजरत गाजी शहीद की दरगाह शरीफ जिसका खाता सं0-943, प्लॉट सं0-2863, रकबा-10 डी0 की भूमि पर अवस्थित है।

बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि सुन्नी बोर्ड/शिया वक्फ बोर्ड में निबंधित नहीं है।

बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के मार्गनिर्देशिका के अनुसार बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड अथवा शिया वक्फ बोर्ड से निबंधित औकाफ में ही बिहार राज्य वक्फ विकास योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य कराया जा सकता है।

अत: हजरत गाजी शाह की दरगाह शरीफ का जीर्णोद्धार एवं घेराबंदी कार्य कराना संभव नहीं है।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*188. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के बहादुरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत समेसर पंचायत के समेसर हाट स्थित समेसर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि समय समय पर दुकानदारों द्वारा कब्रिस्तान के आस-पास जबरन दुकान लगा दिया जाता है एवं गंदगी फैलाई जाती है, जिसके कारण आमजनता और दुकानदारों के बीच झड़प होता रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोन्नति देना

*189. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्त विभागीय पत्रांक 2937, दिनांक 31 मार्च, 2011 एवं सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 5046, दिनांक 11 अप्रैल, 2014 के आलोक में इण्टर उत्तीर्ण चतुर्थवर्गीय कर्मी को प्रोन्नति देकर एल०डी०सी० (तृतीय वर्ग) पद पर करने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना 7 के पत्रांक 04, दिनांक 2 जनवरी, 2019 एवं 832, दिनांक 14 जुलाई, 2023 के द्वारा मुद्रणालय कर्मियों को प्रोन्नति नियमावली बनाने हेतु वित्त विभाग को भेजा गया, जो अबतक लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना 7 के कर्मियों को प्रोन्नति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*190. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड गड़हनी के ग्राम-सुअरी एवं ग्राम-मंदुरा के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुयी है, जिससे मामला संवेदनशील बना हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*191. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखंड मोहड़ा के ग्राम सेबतर में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने से दो समुदायों में भूमि विवाद के कारण बराबर तनाव होने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की भूमि की नापी कराकर घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गाँव को धरहरा थाना क्षेत्र में शामिल करना

*192. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आयुक्त, मुंगेर ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, मुंगेर के संयुक्त पत्रांक 2167/सा०शा०, दिनांक 3 मई, 2023 एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुंगेर के पत्रांक 2829/सा०शा०, दिनांक 9 मई, 2023 के आलोक में पत्रांक जी० 04-08/2022-3338 से अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) बिहार, पटना से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि धरहरा प्रखंड के महागामा पंचायत के गोविन्दपुर एवं जशीडीह गाँव को लड़ैया टांड थाना क्षेत्र से हटाकर धरहरा थाना क्षेत्र में शामिल किया जाये, यदि हाँ, तो क्या सरकार धरहरा प्रखंड के महगामा पंचायत के गोविन्दपुर एवं जशीडीह गांव को धरहारा थाना क्षेत्र में शामिल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*193. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के बिहपुर पूरब पंचायत के वार्ड नं० 4 विक्रमपुर के पास अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बरामदगी कराना

*194. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के शिवाजीनगर प्रखंड के ग्राम-दूबेपुर की निवासी श्रीमती गीता देवी, पति-ओम प्रकाश सत्यार्थी द्वारा अपनी बेटी सुश्री कृष्णा साही की दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 को हुयी गुमशुदगी की जानकारी शिवाजीनगर ओ०पी० में दी गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 को इस घटना का संज्ञान लेते हुये काण्ड संख्या 188/23 दर्ज की गयी, परन्तु इतने समय बीतने के बाद भी इनकी बेटी की बरामदगी अबतक नहीं करायी जा सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सुश्री कृष्णा साही की बरामदगी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*195. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के बिहपुर पूरब पंचायत के अंसारी टोला वार्ड नं० 10 एवं 11 में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी या उप-थाना स्थापित करना

*196. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर थाना क्षेत्र से लगभग 20 कि०मी० दक्षिण पूरब में हरसेनी, लाड़नपुर सहित उग्रवाद से प्रभावित पाँच गाँव अवस्थित हैं, जहाँ इस्लामपुर थाना की दूरी के कारण गस्त लगाने में काफी कठिनाई होती है एवं गांव के आमजन उग्रवाद से भयाक्रांत रहते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस्लामपुर थाना के लाड़नपुर ग्राम में पुलिस चौकी या उप-थाना स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राचार्य की गिरफ्तारी

*197. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अन्तर्गत बसंतपुर थाना के सीमांत गांधी इन्टर कॉलेज, हुसेपुर के प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ अनुदान वितरण में बरती गयी भारी अनियमितता के आरोप में बसंतपुर थाना में प्राथमिकी संख्या 140/23, दिनांक 10 अप्रैल, 2023 को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बंसतपुर के द्वारा दर्ज करायी गयी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्राचार्य की अग्रिम जमानत याचिका दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 को एडीजी-5 सीवान के यहां से रिजेक्ट कर दिया गया, परन्तु अभीतक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्राचार्य की गिरफ्तारी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशमन (दमकल) वाहन की व्यवस्था कराना

*198. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत पड़ने वाला सन्हौला थाना में एक भी अग्निशमन (दमकल) वाहन नहीं रहने के कारण आपदा की स्थिति में आमजन को कुप्रकोप का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सन्हौला थाने में अग्निशमन (दमकल) वाहन की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देना

*199. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को चतुर्थवर्गीय सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सड़क दुर्घटना में वैशाली जिला के लालगंज प्रखंड निवासी स्व० श्री अभिषेक कुमार, पिता-श्री राजू कुमार, पता-जय प्रकाश नगर, थाना जनकपुर, की दिनांक 30 अक्टूबर, 2022 को सोनपुर जाने के क्रम में सड़क दुर्घटना के बाद पी०एम०सी०एच०, पटना में इलाज के क्रम में मृत्यु हो गयी जिसकी प्राथमिकी सोनपुर थाना में पी०एस० केस नं०-873/22, दिनांक 15 नवम्बर, 2022 में दर्ज करायी गयी है, परन्तु पीड़ित परिवार को अबतक न ही मुआवजा दिया गया है और न ही सरकारी नौकरी दी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पीड़ित परिवार को मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*200. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि स्व० गणेश नारायण यादव, गृह रक्षक, ग्राम-माह अभयपुर, पी०-अभयपुर, थाना-पीरी बाजार, जिला-लखीसराय की मृत्यु दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 को हुई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि पिता के मृत्यु के बाद उनके आश्रित पुत्र सन्नी कुमार, दिनांक 18 मई, 2017 को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया था, परन्तु उम्र कम रहने के कारण नियुक्ति नहीं हुई, जबकि वर्ष 2018-19 में उम्र एवं शैक्षणिक अर्हता दोनों पूरा कर लेने के पश्चात् आवेदन करने पर भी नियुक्ति नहीं की गयी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुकम्पा के आधार पर श्री सन्नी कुमार को गृह रक्षक के पद पर नियुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस आउट पोस्ट स्थापित करना

*201. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत बेलसरा, परिहारी, कोशकापुर उत्तर एवं कोशकापुर दक्षिण की दूरी रानीगंज थाना से अधिक होने के कारण अपराधी अपराध करके इन इलाकों में शरण लेते हैं, जिससे इन इलाकों में अपराध को बढ़ावा मिल रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिये बेलसरा में एक पुलिस आउट पोस्ट स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य योजना बनाना

*202. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत नगर परिषद, झंझारपुर में बियाडा (BIADA) की पर्याप्त भूमि विद्यमान है, जिसपर उद्योग एवं अन्य प्रतिष्ठान स्थापित किये जा सकते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार नगर परिषद्, झंझारपुर में अवस्थित बियाडा की भूमि के उपयोग के लिये कोई नई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फायरिंग की प्रैक्टिस करवाना

*203. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस कर्मियों द्वारा वर्षों से फायरिंग की प्रैक्टिस नहीं किये जाने के कारण पुलिस कर्मियों को कई बार फजीहत का सामना करना पड़ा है जैसे 21 अगस्त, 2019 को पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र के अन्तिम संस्कार के समय 21 बन्दूकों की सलामी देने के दरम्यिान किसी भी बन्दूक से फायरिंग नहीं हो सकी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि फायरिंग प्रैक्टिस के तीन मकसद होते हैं, जिसमें प्रथम पुरानी गोलियों का प्रयोग करना, दूसरा फायरिंग का अभ्यास करना और तीसरा मकसद पुलिस कर्मियों को दिये गये हथियारों को टेस्ट करना होता है एवं प्रैक्टिस नहीं होने से हथियार और उसे चलाने वालों को निशाना लगाने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुलिस कर्मियों को फायरिंग प्रैक्टिस करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*204. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड अन्तर्गत ररियाही पंचायत के वार्ड नं० 5 में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण क्षेत्र के नागरिकों में काफी असंतोष है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*205. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभुतिपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के मुरलीगंज में राजेश हाँसदा हत्याकांड में दर्ज मुरलीगंज थाना कांड सं० 451/23, दिनांक 24 अक्टूबर, 2023 में नामजद दस अभियुक्तों में से ओम प्रकाश दास एवं छोटू यादव की गिरफ्तारी हुई है और शेष आठ अभियुक्त अभीतक फरार हैं, जिससे पीड़ित परिवारों में भय व्याप्त है, यदि हाँ, तो सरकार पीड़ित परिवारों को सुरक्षा देने के साथ-साथ शेष आठ फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अपराधों पर रोक लगाना

*206. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 6 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''बिहार का आर्थिक में 6वां व साईबर में 7वां स्थान'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में आर्थिक अपराधों की संख्या 10674 तथा साइबर अपराधों की सं० 1621 दर्ज किये गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में राज्य में आर्थिक अपराध में 11 प्रतिशत भ्रष्टाचार में 10.05 प्रतिशत तथा साइबर अपराध में 24.04 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि 10 लाख से 20 लाख रुपये तक के भ्रष्टाचार या आर्थिक अपराध के मामले में देशभर में बिहार में सबसे ज्यादा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त अपराधों पर रोक लगाने के लिये कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*207. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड-चरपोखरी के ग्राम-रेपुरा एवं ग्राम-बैदेकोरी कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं हुई है, जिससे मामला संवेदनशील बना हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० की स्थापना कराना

*208. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल प्रखंड की भौगोलिक स्थिति एवं आकार को देखते हुये जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, मधुबनी द्वारा पंडौल प्रखंड के सरसोंपाही तथा भगवतीपुर में ओ०पी० की स्थापना हेतु सरकार से वर्ष 2022 एवं 2023 में विस्तृत प्रतिवेदन भेज कर अनुरोध किया गया, परंतु अभीतक ओ०पी० की स्थापना उपर्युक्त दोनों स्थलों पर नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त दोनों स्थलों पर ओ०पी० की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राजस्व जिला बनाना

*209. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या- 5 लौरिया)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बगहा को अपराध मुक्त करने के लिये 8 जनवरी, 1996 को पुलिस जिला बनाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है और वाल्मिकीनगर नाम से लोक सभा तथा विधान सभा क्षेत्र है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुलिस जिला बगहा को महर्षि बाल्मिकी जी के नाम पर बाल्मिकीनगर नामाकरण करते हुये इसे राजस्व जिला बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मक्का प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना

*210. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल स्थित तीनों प्रखंड सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ एवं महिषी में मक्के की फसल बहुतायत में होती है, परंतु मक्का प्रसंस्करण प्लांट नहीं होने के कारण मक्का उत्पादक किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सिमरी बख्तियारपुर में मक्का प्रसंस्करण प्लांट स्थापित करने के साथ-साथ राज्य भर में मक्का प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालू करवाना

*211. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला स्थित सासामुसा सुगर मिल जो पिछले 8 सालों से बंद है तथा जिसके यहां किसानों के गन्ना का करोड़ों रुपया बाकी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सासामुसा सुगर मिल में किसानों के बकाया राशि का भुगतान कराने एवं बंद सुगर मिल को चालू करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मेसर्स सासामुसा सुगर वर्क्स प्रा० लि०, सासामुसा, गोपालगंज पेराई सत्र 2020-21 में परिचालन के पश्चात् बंद है। सासामुसा चीनी मिल एक निजी क्षेत्र की चीनी मिल है। चीनी मिल की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण सासामुसा चीनी प्रबंधन द्वारा तीन पेराई सत्रों से इस चीनी मिल का परिचालन नहीं किया गया है। इस चीनी के विरुद्ध गन्ना कृषकों का पेराई सत्र 2014-15 से 2020-21 तक लगभग मो० 43.00 करोड़ रुपये ईख मूल्य भुगतान मद में बकाया है। बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 में निहित प्रावधानों के

अन्तर्गत बकायों की सूद सहित वसूली हेतु विभाग द्वारा इस चीनी मिल के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है।

इस चीनी मिल द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से भी ऋण भी लिया गया था। ऋण की राशि लगभग मो० 68,35,04,916.00 रुपये (सूद सहित) की वसूली हेतु बैंक द्वारा NCLT, कोलकाता बेन्च में The Insolvency Bankruptcy Code. 2016 (code) के तहत C.P.(IB) No. 157/KB/2021. (Central Bank of India Vs. M/s Sasamusa Sugar Works Pvt. Ltd & Ors.) दिनांक 17 नवम्बर, 2022 वाद दायर किया गया। गन्ना किसानों के बकाये ईख मूल्य का भुगतान कराने के लिये विभाग द्वारा भी इस मामले में Intervener बनकर विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के माध्यम से NCLT, कोलकाता बेन्च में Claim Petition दायर किया गया है। विभाग द्वारा मेसर्स सासामुसा सुगर वर्क्स प्रा०लि० के RP श्री कुलदीप वर्मा को विहित प्रपत्र में गन्ना कृषकों के बकाये ईख मूल्य एवं अन्य बकायों का Claim Petition समर्पित कर दिया गया है।

वर्तमान में इस चीनी मिल से संबंधित मामला NCLT, कोलकाता बेन्च में प्रक्रियाधीन है। यदि किसी निवेशक द्वारा NCLT, कोलकाता के माध्यम से रीगा चीनी मिल को पुन: चालू कराने हेतु विभाग को प्रस्ताव प्राप्त होता है तो सरकार द्वारा यथोचित सहयोग प्रदान की जायेगी ।

भू-अर्जन की कार्रवाई करना

*212. श्री राहुल तिवारी (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत थाना नं० 147 नगर पंचायत बिहियां में कब्रिस्तान हेतु भूमि अधिग्रहण के पश्चात् भी अभी तक भू-अर्जन की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक भू-अर्जन की कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी स्थापित कराना

*213. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड पंचदेवरी में पुलिस थाना नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखंड पंचदेवरी में पुलिस थाना नहीं होने के कारण आये दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुलिस चौकी स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*214. श्री मोती लाल प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत बैरगनिया नगर के भकुरहर ग्राम के बड़ी कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं होने से मिश्रित आबादी होने के कारण कभी-कभी तनाव की स्थिति बन जाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*215. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "राज्य में प्रतिमाह औसतन चार अवैध मिनी गन फैक्ट्री हो रही जब्त" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में जनवरी, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक कुल 49 मिनी गन फैक्ट्रियों को जब्त किया गया है एवं पुलिस कार्रवाई के बावजूद पिछले पाँच वर्षों में राज्य में मिनी गन फैक्ट्री की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गन फैक्ट्रियों में निर्मित अवैध हथियार एवं कारतूस का उपयोग राज्य के अपराधियों द्वारा हत्या, लूट, डकैती एवं चुनाव के समय आपराधिक वारदातों में किया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में अवैध मिनी गन फैक्ट्रियों को रोकने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अवैध लॉटरी के संचालन पर रोक

*216. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत नवीनगर बाजार सहित पूरे जिले में अवैध लॉटरी लगाने का कार्य दबंग एवं अपराधी प्रवृति के लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त अवैध गतिविधि में स्थानीय पुलिस संलिप्त है और स्थानीय जनता को वित्तीय नुकसान एवं सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नवीनगर सहित पूरे औरंगाबाद जिले में अवैध लॉटरी के संचालन पर रोक लगाने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 19 फरवरी, 2024 (ई०)।

राज कुमार,
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि०स०मु० - 85 (एल०ए०), 2023-24 डी०टी०पी० -550